न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव(आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 21/2015

बउनवान

मोहनलाल आयु 55 साल पुत्र श्री सावंला जाति–माली पेशा उचित मूल्य दूकानदार ग्राम मण्डोली ग्राम पं. इकलेरा तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील, धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत

उपस्थिति :–1. श्री गजेन्द्र कुमार पंचौली, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार रसद **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 08.07.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक जिला रसद अधिकारी, बारां के आदेश दिनांक 21.01.2013 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोंडेट अन्तर्गत धारा–22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत प्रस्तुत कर अपील में कथन किया है कि अपीलांट ग्राम मण्डोली ग्राम पंचायत इकलेरा तह. बारां का उचित मूल्य दूकानदार है जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 60/95 है। जिला रसद अधिकारी,बारां ने अपीलांट का दिनांक 01.11.2002 को प्राधिकार निलंबित किया व दिनांक 21.1.2003 को प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय दिनांक 21.1.2003 विधि विरूद्व एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। क्योकि अपीलांट द्वारा रेस्पों0 को अवगत कराया गया था कि उक्त तथ्यो से संबंधित अपीलांट के विरूद्व धारा 3/7 ई0सी0एक्ट का प्रकरण दर्ज करवाया था जो विचाराधीन है। अपीलांट के विरूद्व जुर्म प्रमाणित नहीं हुआ एवं चार्ज भी नहीं लगाया गया है। इसी बीच अपीलांट द्वारा कहे गये कथनो पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर न करते हुये दिनांक 21.1.2003 को प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट के विरूद्व उपरोक्त तथ्यो से संबंधित प्रकरण संख्या 87/03 सरकार बनाम मोहनलाल धारा 3/7 व 3/8 ई0सी0एक्ट में अपीलांट को दिनांक 14.12.2012 को न्यायालय ए0सी0जे0एम0बारां द्वारा दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है तथा अपीलांट उचित मूल्य दूकान का लाईसेंस बहाल करवाने का वैधानिक अधिकारी है।

2– अपीलांट के विरूद्व दिनांक 31.10.2002 से दिनांक 14.12.2012 तक फौजदारी प्रकरण न्यायालय ए.सी.जे.एम. बारां में विचाराधीन रहा है तथा अधीनस्थ

न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिये जाने एवं लाईसेंस निरस्त कर दिये जाने पर, अपीलांट ने विवश होकर न्यायालय अति. खाद्य आयुक्त महोदय, जयपुर में अपील पेश की थी जिसमें दिनांक 7.5.2015 को आदेश पारित किये कि वह सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने के लिये स्वतंत्र है। इसके पश्चात् अपीलांट बीमार हो जाने व चलने फिरने में असमर्थ होने से अपील पेश नहीं कर सका तथा स्वस्थ होने पर अपील जानकारी से अवधि मध्य मियाद के लिये पृथक से धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र सहित प्रस्तुत की गयी है।

3– अतः माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0साहब बारां द्वारा अपीलांट को दोषमुक्त किये जाने से अपीलांट का निरस्त प्राधिकार पत्र संख्या 60/95 बहाल किया जाकर अपीलांट की राशन सामग्री वितरण सप्लाई चालू करवायी जावे तथा उसकी उचित मूल्य दूकान के स्टॉक से अधिकर जप्त किये गये 56 क्वि. गेहूॅ को अपीलांट की सुपुर्दगी में दिलाये जावे क्योकि उक्त 56 क्वि0 गेहूॅ अपीलांट के खेती के थे जो भी उचित मूल्य दूकान के गेहूॅ के पास रखे थे। जबकि रेकार्ड में 270 क्विंटल गेहॅ हीं स्टॉक में था किन्तु रेस्पो0 ने अनाधिकृत रूप से अपीलांट के 56 क्विटंल गेहूॅ जप्त किये गये है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां का आदेश दिनांक 21.01.2003 निरस्त फरमाया जाकर, अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या 60/95 बहाल किया जाकर अपीलांट को राशन सप्लाई चालू करवायी जावे तथा अपीलांट का उचित मूल्य दूकान के स्टॉक से अधिक जप्त किये गये गेहूॅ 56 क्विंटल को अपीलांट की सुपुर्दगी में दिलवाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे या 56 क्विंटल गेहूॅ का बाजार मूल्य के हिसाब से अपीलांट को राशि का भुगतान करवाया जावे।

4– प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी,बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद सुनी गयी।

5– बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम मण्डोली पंचायत इकलेरा का उचित मूल्य दूकानदार है। प्रार्थी की दूकान का जिला रसद अधिकारी,बारां द्वारा दिनांक 31.10.2002 को निरीक्षण किया गया था जिसमें गलत व मनमढन्त तथ्यों को आधार बनाकर, अपीलांट का प्राधिकारपत्र संख्या 60/95 दिनांक 1.11.2002 को निलंबित किया तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सुनवाई व जॉच किये दिनांक 21.1.2003 को प्राधिकार पत्र निरस्त कर किया गया तथा अपीलांट के विरूद्व धारा 3/7 ई0सी0एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया, जो माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 साहब बारां के चला। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 14.12.2012 को आदेश पारित कर, अपीलांट को दोषमुक्त किया जा चुका है। अपीलांट ने प्राधिकार पत्र निरस्त करने की अपील खाद्य विभाग, जयपुर में भी की थी। उन्होने आदेश दिया है कि वह सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करे, इन्हे आधार पर अपीलांट ने हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी है। माननीय न्यायालय द्वारा अपीलांट को दोषमुक्त किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट पर आरोपित कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है। इसलिये अपीलांट की उचित मूल्य दूकान मण्डोली को बहाल किया

जाना न्यायोचित है तथा जप्ती के समय अपीलांट के खेती की गेहूॅ जो 56 क्विंटल अधिक जप्त किये गये है,उनको भी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपीलांट के विरूद्व कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने से अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां का आदेश दिनांक 21.1.2003 निरस्त किया जाकर, अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे तथा 56 क्विंटल गेहूॅ की अमानत राशि वर्तमान बाजार दर से अपीलांट को वापस दिलायी जावे।

6— इसके विपरीत पेरोकार रसद ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अपीलांट का दिनांक 21.1.2003 को प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा चुका है। वर्तमान में उचित मूल्य दूकानदार की नवीन भर्ती हो चुकी है। वर्तमान में कोई रिक्ती नहीं है। माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 बारां ने अपीलांट को संदेह का लाभ देकर, धारा, 3/7 ई0सी0एक्ट व धारा—8 से दोषमुक्त किया गया है। माननीय न्यायालय ने अपीलांट का प्राधिकार पत्र एवं अमानत राशि वापस अप्रार्थी को लोटाये जाने के संबंध में कोई आदेश प्रसारित नहीं किये गये है। अपीलांट के विरूद्व धारा, 6 के तहत आरोप प्रमाणित है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

7— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी,बारां द्वारा अपीलांट के दुकान का आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 31.10.2002 को किया गया है, वक्त निरीक्षण अनियमितता पाये जाने पर गोदाम व ट्रक में भरे गेहूॅ का जप्त किया गया है तथा अनियमितता पुष्ट होने पर अप्रार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है तथा संबंधित डीलर के विरूद्व धारा, 3/7 के तहत फौजदारी का प्रकरण दर्ज कराया गया है। माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 बारां द्वारा अपीलांट को संदेह का लाभ देकर, धारा—3/7 व संपठित धारा—8 से दोषमुक्त किया गया है। चूकि प्रकरण धारा, 6(ए) ई0सी0एक्ट, 1955 के तहत अप्रार्थी डीलर के विरूद्व जुर्म प्रमाणित है तथा माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0, बारां द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल करने एवं जप्तशुदा माल के निस्तारण के संबंध में कोई दिशानिर्देश प्रदान नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना एवं जप्तशुदा गेहूॅ 56 क्विंटल की अमानत राशि लौटाये जाना उचित नहीं समझते है।

8— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है तथा अपीलांट द्वारा जप्तशुदा गेहूॅ की अमानत राशि का चाहा गया अनुतोष, उचित प्रतीत नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2019.07.26 11:32:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: